

25/8/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना वसुन्धरा विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्घीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा)	स्वामित्व
ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर।	377 378	11 बीघा 4 बिस्वा 09 बीघा 08 बिस्वा	भैवर लाल पुत्र घासीराम हिरसा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार। रामप्रकाश पुत्र घासीराम हिरसा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार। सायरमल पुत्र घासीराम हिरसा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार।
कुल किता	2	20 बीघा 12 बिस्वा में से अविभाजित हिस्सा 3/4 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

25/8/22
1393

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना वसुन्धरा विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तांतरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा)	स्वामित्व
ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर।	377 378	11 बीघा 4 बिस्वा 09 बीघा 08 बिस्वा	भैवर लाल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार। रामप्रकाश पुत्र घासीराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार। सायरमल पुत्र घासीराम हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. सिरसी खातेदार।
कुल किता	2	20 बीघा 12 बिस्वा में से अविभाजित हिस्सा 3/4 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 0-2450

दिनांक... 23-8-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण जैतपुरा विकास समिति की योजना उद्योग विहार विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
जैतपुरा तहसील चौमू	1898	0.5100	<ol style="list-style-type: none"> अंकिता पत्नि विशाल हिस्सा- 989/24800 जाति- महाजन सा. रायल एनक्लेव सेक्टर न.1 विधाधर नगर जयपुर खातेदार अमित पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 89/6200 जाति- महाजन सा. खेतडी हाउस जयपुर खातेदार अशोककुमार पुत्र प्रहलादराय हिस्सा- 753/12400 जाति- महाजन सा.ए.2 अशोकविहार चौमू खातेदार अशोककुमार पुत्र जुगलकिशोरशाह हिस्सा- 32/775 जाति- महाजन सा. प्लॉट न. 24 ए कृष्णानगर तीन दुकान बस स्टेण्ड सीकर रोड जयपुर खातेदार कजोड पुत्र धन्ना हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार कैलाशचन्द गुप्ता पुत्र गोविन्द नारायण गुप्ता हिस्सा- 1583/24800 जाति- महाजन सा. जम-8 कबीर मार्ग बनीपार्क जयपुर खातेदार कृष्णादेवी पत्नि बनवारी हिस्सा- 687/24800 जाति- महाजन सा.प्लॉट न.139 विजयबाडी तीव दुकान सीकर रोड जयपुर खातेदार काना पुत्र गीधा हिस्सा- 39/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार गंगाराम पुत्र गीधा हिस्सा- 19/12400 जाति- जाट सा. देह खातेदार गायत्री पत्नि सन्तोषकुमार हिस्सा- 71/4960 जाति- महाजन सा. ए.19 खेतडी हाउस जयपुर खातेदार गोदूराम पुत्र कालू हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा.देह खातेदार गोपी पुत्र धन्ना हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार गोरव पुत्र यतेन्द्रकुमार हिस्सा- 187/3100 जाति- जैन सा. विधाधर नगर जयपुर खातेदार जुगलकिशोर पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 89/6200 जाति- महाजन सा. खेतडी हाउस जयपुर खातेदार जयप्रकाश पुत्र जुगलकिशोरशाह हिस्सा- 33/800 जाति- महाजन सा. प्लॉट न. 24 ए कृष्णानगर तीन दुकान बस स्टेण्ड सीकर रोड जयपुर खातेदार नानु पुत्र धन्ना हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार प्रभाती पत्नि धन्ना हिस्सा- 1/1240 जाति- जाट सा. देह खातेदार
	1899	0.2600	
	1900	0.5500	
	1901	0.6600	

PRO/1395
25/8/22

(Handwritten signature)

			<p>18. बद्रीप्रसाद पुत्र भीवाराम हिस्सा- 303/24800 जाति- जाट सा. जयपुर खातेदार</p> <p>19. बंशीधर पुत्र कालू हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा.देह खातेदार</p> <p>20. रणदीपसिंह पुत्र सगरावसिंह हिस्सा- 419/12400 जाति- अहीर(यादव) सा. म.न.100 महेन्द्रगढ हरियामा खातेदार</p> <p>21. राम गुप्ता पुत्र कैलाशचन्द्र गुप्ता हिस्सा- 1397/12400 जाति- महाजन सा. 8/127 विद्याधर नगर जयपुर खातेदार</p> <p>22. रामनारायण पुत्र धन्ना हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>23. रामेश्वर पुत्र धन्ना हिस्सा- 19/24800 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>24. रामस्वरूप पुत्र हरबक्स हिस्सा- 419/24800 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. टांकरडा खातेदार</p> <p>25. लालचन्दअग्रवाल पुत्र शिवप्रसाद हिस्सा- 71/4960 जाति- महाजन सा. खेतडी नगर जयपुर खातेदार</p> <p>26. वन्दना पत्नि श्रीराम हिस्सा- 293/6200 जाति- महाजन सा. 8/127 विद्याधर नगर जयपुर खातेदार</p> <p>27. विभा पत्नि सोरभ हिस्सा- 183/4960 जाति- जैन सा. विद्याधर नगर जयपुर खातेदार</p> <p>28. श्रवणलाल पुत्र भीवाराम हिस्सा- 303/24800 जाति- जाट सा.देह खातेदार</p> <p>29. श्री राम पुत्र रामानन्द हिस्सा- 247/24800 जाति- महाजन सा. प्लाट न.231 वि.के.आई जयपुर खातेदार</p> <p>30. श्रीनिक पुत्र यतेन्द्र हिस्सा- 739/12400 जाति- जैन सा. प्लाट न. 176 उद्योद विहार जैतपुरा खातेदार</p> <p>31. संगीतादेवी पत्नि सत्यनारायण हिस्सा- 1229/24800 जाति- महाजन सा.प्लाट न.62 अशोक विहार चौमू खातेदार</p> <p>32. संजय पुत्र गोरीशंकर हिस्सा- 67/1550 जाति- महाजन डी. 116 बसनिता मार्ग बनीपार्क जयपुर खातेदार</p> <p>33. सतीश पुत्र शिवशंकर हिस्सा- 551/12400 जाति- महाजन सा.सुरजगढ जिला.लाखीसराय खातेदार</p> <p>34. सैदीप पुत्र नागरमल हिस्सा- 1/100 जाति- महाजन सा. प्लाट 23 शिवविहार कालोनी जयपुर खातेदार</p> <p>35. स्वाती पत्नि सुनिल हिस्सा- 301/4960 जाति- माली सा. नि. डी 94 परमहंस कालोनी सिन्धूनगर न. 17 सीकर रोड जयपुर खातेदार</p> <p>36. स्वीटी पत्नि यतेन्द्र हिस्सा- 243/4960 जाति- जैन सा. प्लाट न. 115 फ्रन्टीयर कोलोनी आदर्श नगर जयपुर खातेदार,</p>
	1902	0.5000	
	कुल किता 5	2.4800 हैक्टर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर

25/8/22
R.1395

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102052

दिनांक: 24/08/2022

लोक सूचना

श्रीमति **MADHURI GOLYAN** पत्नी श्री **NATWAR GOLYAN** जाति **MAHAJAN** निवासी **93 GEM VIHAR, BEHIND STADIUM, SANGANER, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	MADHURI GOLYAN W/O NATWAR GOLYAN	5485/5398	181	0.0181
2.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	MADHURI GOLYAN W/O NATWAR GOLYAN	5487/702	361	0.0361
				कुल	0.0542

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **24-08-2022** को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रा.क. 139/6
25/8/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102053

दिनांक: 24/08/2022

लोक सूचना

श्रीमति AMITA KHATRI पत्नी श्री HEMANT KHATRI जाति KHATRI निवासी A-101 VIRASAT
APPLUANCE APT SHYAM VIHAR COLONY SANGANER JAIPUR

श्री HEMANT KHATRI पुत्र श्री JETHANAND KHATRI जाति KHATRI निवासी A-101 VIRASAT
APPLUANCE APT SHYAM VIHAR COLONY SANGANER JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	AMITA KHATRI, HEMANT KHATRI	5486/5398	181	0.0181
2.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	AMITA KHATRI, HEMANT KHATRI,	5488/702	362	0.0362
कुल					0.0543

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-08-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DR/R-1397
25/8/22




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविपा/उपा पीआरएन (दक्षिण द्वितीय)/2022/डी-3752 दिनांक: 25-8-2022

आग सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कीर्ति सागर एफ के भूखण्ड संख्या 83 एण्ड 84 क्षेत्रफल 461.86, भूखण्ड 86 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 90 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज के भूखण्डधारियों द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने वास्तु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मांग्यावारा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 188, 189 व 192 के सम्पूर्ण/आंशिक रूप से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बरों की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातोदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारियों को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।


उपायुक्त


जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

N.P. V.N.

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक - जविप्रा/उपा. पीआरएन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी 3701 दिनांक - 18-8-2022


आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अमृत नगर के भूखण्ड संख्या 179-बी क्षेत्रफल 76.66 वर्गगज द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 498 में सृजित है। उपरोक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 498 के सम्पूर्ण/आंशिक रूप से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारीगों को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।


उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।



उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएनरा - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पीआरएन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-375/ दिनांक:- 25.8.2022

:-सूचना:-


क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातोदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	रोवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुरेन्द्र कुमार	रामकुमार रवामी	130	1350.00	हरानपुश ए गृ.नि. स.स.	महावीर नगर-बी	लीजडीड	अपजिकृत इकरारनामा


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञापि का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापि का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बन्धित कार्यालय) फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)